राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर / डीएलबी / विविध / 2023–24 / 14115-14396 दिनांक : 24/1/2024

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान

विषयः– नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री अवैध होर्डिंग्स / यूनीपोल / बैनर / पोस्टर हटाने एवं पुराने होर्डिंग्स की मरम्मत कराये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयार्न्तगत लेख है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित अधिकतर गेन्ट्रीज, दिशा सूचक गेन्ट्रीज एवं राजकीय होर्डिंग आदि पर अवैध रूप से राजनैतिक, समाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों तथा समाचार पत्रों के प्रचार–प्रसार के विज्ञापन लगे हुए है। यह राजस्थान नगर पालिका सम्पत्ति विरूपण नियमों के विरूद्ध है तथा इस स्थिति को उच्च स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री एवं अवैध होर्डिंग्स / यूनीपोल / बैनर / पोस्टर हटाने हेतु पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

01. समस्त नगरीय निकायों द्वारा अवैध विज्ञापन, बैनर, पोस्टर तुरन्त हटाये जाये तथा की गई कार्यवाही के फोटोग्राफ विभागीय ई–मेल आई.डी. jdpr.lsg@gmail.com तथा विभागीय वाट्सऐप ग्रुप में आवश्यक रूप से भेजें।
02. राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल पर विज्ञापन ना लगे इसके लिए एक निगरानी दल का गठन किया जाकर सघन अभियान चलाया जावे एवं 24 घण्टे यह निगरानी किये जाने की व्यवस्था की जावे। जिससे राजकीय होर्डिंग्स एवं यूनीपोल पर राजकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनाधिकृत प्रचार–प्रसार के फ्लैक्स नहीं लगे।
03. नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग्स / बैनर / वॉल पेंटिंग / पतंग / बोर्ड हटाने की कार्यवाही प्रतिदिन आवश्यक रूप से की जावे।
04. राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल के साथ–साथ राजकीय सम्पत्तियों के विरूपित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त FIR दर्ज करायी जावे एवं सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही से प्रतिदिन स्वायत्त शासन विभाग को सूचित किया जावे।
05. अवैध सामग्री व लोकेशन को हटाने तथा सामग्री हटाने में हुये व्यय की संबंधित व्यक्ति से वसूली की जावे।
06. सभी फ्लैक्स प्रकाशन करने वाली फर्मो / संस्थाओं को सूचित किया जावे कि वे संबंधित नगरीय निकाय की पूर्व स्वीकृति के बिना राजकीय होर्डिंग्स का उपयोग नहीं करें।
07. नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल यदि क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं एवं उनकी मरम्मत की आवश्यकता है तो संबंधित निकाय उसे अविलम्ब मरम्मत करवाकर ठीक करवाये तथा सभी होर्डिंग्स / यूनीपोल पर लाईटें भी लगायी जावें एवं इसकी सूचना मय फोटो ई–मेल jdpr.lsg@gmail.com पर भिजवायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। यदि नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग/बैनर/पोस्टर/अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री लगी हुई होने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का व्यक्तिगत उतरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/विविध/2023–24/14397-14409 दिनांक : 24/01/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार निकायों को जारी किये जाने वाले निर्देश के संबंध में अपने अधीनस्थ नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन की गई कार्यवाही की दैनिक रूप से समूचित मॉनिटरिंग करें।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)